

**Subject:** Online implementation of Technical Programme of State Scheme for "Promotion of Cotton Cultivation in Haryana State" for the year 2021-22.

1. **Section in which Scheme is activated**
  - (I) Front Line Demonstration (FLD) of Production of technologies.
    - (i) Demonstration on Seed Rate/ बीज दर पर प्रदर्शन प्लांट
    - (ii) Demonstration on Deep Ploughing/ गहरी जुताई पर प्रदर्शन प्लांट
  - (II) Promotion of Micronutrient and INM/ एन.पी.के. और सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्त्रे को बढ़ावा देना
  - (III) Promotion of Integrated Pest Management (IPM)/समेकित कीट प्रबंधन को बढ़ावा देना
2. **Scheme Name:** Technical programme of State Scheme for "Promotion of Cotton Cultivation in Haryana State/ हरियाणा राज्य में कपास की खेती का बढ़ावा देना
3. Financial Year 2021-22
4. State Date: 15-06-2021
5. End Date: 15-07-2021
6. Total Targeted Area: 8500 acres
7. Unit (Area): Acres
8. Total fund Allocated (INR): Rs. 60.00 lakh
9. **Financial assistance:**
  - I. **Front Line Demonstration (FLD)** on Production Technologies are Rs. 2000 per acre.
  - II. **Promotion of micronutrient and INM:** 50% of the cost of inputs or Rs. 500/- per hectare (2.5 acre) whichever is less
  - III. **Promotion of Integrated Pest management (IPM):** 50% subsidy or Rs. 1000 per hectare (2.5 acre) whichever is less
10. At least 120% application against the no. of targeted beneficiaries should be called.
11. **Guidelines (PDF only):**
  1. उपरोक्त मदों में एक किसान को फ्रंट लाईन प्रदर्शन प्लांट के लिए अधिकतम 1 एकड़ एन.पी.के. और सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्त्रे को बढ़ावा देने के लिए व समेकित कीट प्रबंधन (IPM) को बढ़ावा देने के लिए 1 हैक्टेयर (2.5 एकड़) का लाभ दिया जाएगा ।
12. **Notification (PDF) only)**

Certificate required (if any Certificate is required from farmer for applying this scheme):  
Aadhar Card, Parivar Pehchan patra (PPP), Voter Card, Pan Card, Bank detail and Mobile Number.

विषय: राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयित राज्य योजना, "हरियाणा में कपास की खेती को बढ़ावा देना" के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 के दौरान किसानों को दिए जाने वाले अनुदान व डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) बारे ।

कृपया अधिकारीगण उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करें। राज्य योजना, "हरियाणा में कपास की खेती को बढ़ावा देना" के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 के दौरान मदों में सरकार किसानों को वित्तीय सहायता डी0बी0टी0 के माध्यम से मुहैया करवा रही है ।

मद: फ्रन्ट लाईन प्रदर्शन प्लाट के लिए रूपए 2000/- प्रति एकड़ एन.पी.के. और सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्प्रे को बढ़ावा देना (वित्तीय सहायता: कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500/- रूपए प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो) तथा समेकित कीट प्रबंधन (IPM) को बढ़ावा देना (नीम आधारित कीटनाशक, अरण्ड तेल, पीला चिपचिपा जाल एवं सिफारिश अनुसार समेकित कीट प्रबंधन (IPM) के लिए वित्तीय सहायता कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान 1000/- रूपए प्रति हैक्टेयर, जो भी कम हो ।

1. फ्रन्ट लाईन प्रदर्शन प्लाट:-

i). बीज दर पर प्रदर्शन प्लाट:-

क्र0सं0	जिला	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य (रूपए लाखों में)
1	सिरसा	130	2.60
2	फतेहाबाद	45	0.90
3	हिसार	100	2.00
4	जीन्द	40	0.80
5	भिवानी	80	1.60
6	रोहतक	7	0.14
7	सोनीपत	5	0.10
8	कैथल	5	0.10
9	महेन्द्रगढ/नारनौल	15	0.30
10	झज्जर	7	0.14
11	पलवल	17	0.34
12	रेवाड़ी	8	0.16
13	मेवात	5	0.10
14	फरीदाबाद	3	0.06
15	गुरुग्राम	5	0.10
16	चरखी दादरी	25	0.50
17	पानीपत	3	0.06
	कुल	500	10.00

ii). गहरी जुताई पर प्रदर्शन प्लाट:-

क्र०सं०	जिला	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य (रूपए लाखों में)
1	सिरसा	130	2.60
2	फतेहाबाद	45	0.90
3	हिसार	100	2.00
4	जीन्द	40	0.80
5	भिवानी	80	1.60
6	रोहतक	8	0.16
7	सोनीपत	5	0.10
8	कैथल	5	0.10
9	महेन्द्रगढ़ / नारनौल	15	0.30
10	झज्जर	8	0.16
11	पलवल	17	0.34
12	रेवाड़ी	7	0.14
13	मेवात	5	0.10
14	फरीदाबाद	3	0.06
15	गुरुग्राम	5	0.10
16	चरखी दादरी	25	0.50
17	पानीपत	2	0.04
	कुल	500	10.00

2. एन.पी.के. और सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्त्रे को बढ़ावा देना:-

क्र०सं०	जिला	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य (रुपए लाखों में)
1	सिरसा	500	5.00
2	फतेहाबाद	180	1.80
3	हिसार	400	4.00
4	जीन्द	160	1.60
5	भिवानी	300	3.00
6	रोहतक	30	0.30
7	सोनीपत	20	0.20
8	कैथल	20	0.20
9	महेन्द्रगढ़ / नारनौल	100	1.00
10	झज्जर	40	0.40
11	पलवल	80	0.80
12	रेवाड़ी	50	0.50
13	मेवात	10	0.10
14	फरीदाबाद	10	0.10
15	गुरुग्राम	10	0.10
16	चरखी दादरी	80	0.80
17	पानीपत	10	0.10
	कुल	2000	20.00

3. समेकित कीट प्रबन्धन (IPM) को बढ़ावा देना:-

क्र०सं०	जिला	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य (रूपए लाखों में)
1	सिरसा	250	5.00
2	फतेहाबाद	90	1.80
3	हिसार	200	4.00
4	जीन्द	80	1.60
5	भिवानी	150	3.00
6	रोहतक	15	0.30
7	सोनीपत	10	0.20
8	कैथल	10	0.20
9	महेन्द्रगढ़ / नारनौल	50	1.00
10	झज्जर	20	0.40
11	पलवल	40	0.80
12	रेवाड़ी	25	0.50
13	मेवात	5	0.10
14	फरीदाबाद	5	0.10
15	गुरुग्राम	5	0.10
16	चरखी दादरी	40	0.80
17	पानीपत	5	0.10
	कुल	1000	20.00

दिशा निर्देश:-

- उपरोक्त मदों में एक किसान को फ्रंट लाईन प्रदर्शन प्लाट के लिए अधिकतम 1 एकड़ एन. पी.के. और सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्प्रे को बढ़ावा देने के लिए 1 हैक्टेयर (2.5 एकड़.) व समेकित कीट प्रबन्धन (IPM) को बढ़ावा देने के लिए 1 हैक्टेयर (2.5 एकड़.) का लाभ दिया जायेगा।
- किसान उपरोक्त मदों के लिए प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री विश्वसनीय स्रोत से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सतयापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा।

विज्ञापन प्रारूप

• अनुदान लेने के इच्छुक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट [www.agriharyana.gov.in](http://www.agriharyana.gov.in) पर आवेदन दिनांक 15.07.2021 तक कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए विभाग के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उप मण्डल कृषि अधिकारी या जिले के उप कृषि निदेशक से भी सम्पर्क कर सकते हैं ।

कृषि तथा किसान कल्याण निदेशालय, हरियाणा, पंचकुला